

न्यायालय नायब तहसीलदार श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

मुकदमा नम्बर 80/2018 अंतर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

उनवान : राज्य सरकार बनाम मोहनराम

निर्णय

आज पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का तोलियासर अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत इस आशय की रिपोर्ट पेश की है कि गैर सायल मोहनराम पुत्र भूराराम जाति सुनार निवासी तोलियासर द्वारा ग्राम तोलियासर के खसरा नम्बर 332 तादादी 17.55 है। किस्म भूमि गै.मु.पायतन भूमि में से 0.22 हैक्टेयर भूमि पर सम्बत् 2075 में नाजायज पक्का मकान बनाकर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, अतः इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।

प्रकरण दर्ज कर रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को राजस्थाना भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 का नोटिस जारी कर तलब किया गया। गैर सायल को जारी नोटिस विधिवत् तामिल कराया गया, बाद नोटिस तामिल के गैर सायल ने निर्धारित तारीख पेशी को न्यायालय में उपस्थित होकर नोटिस जवाब पेश किया। नोटिस जवाब में गैर सायल ने लिखा कि अप्रार्थी का जो कब्जा बताया गया है, उक्त कब्जा अप्रार्थी के पूर्वजों के समय से ही चला आ रहा है, जो अप्रार्थी को पारिवारिक बंटवारा, हिस्सा पांति में रिहायश के लिये मिला हैं। उपरोक्त भूखण्ड में अप्रार्थी उक्त भूखण्ड में पशुधन बाधने व रिहायश के लिये उपयोग में लेता आ रहा है, उक्त भूखण्ड के लिये अन्य कोई रिहायश के लिये भूखण्ड अप्रार्थी के पास नहीं हैं।


उक्त अतिक्रमित भूमि के संबंध में स्वामित्व बाबत कोई दस्तावेज/सबूत गैर सायल द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे उक्त भूमि पर इनका स्वामित्व साबित होता हो, जबकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि गैर सायल द्वारा उक्त भूमि पर पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण किया है। गैर सायल द्वारा भूमि स्वामित्व संबंधित कोई संतोषजनक जवाब/प्रस्तुत न करने एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट में गैर सायल मोहनराम का उक्त खसरा नम्बर 332 तादादी 17.55 है। गै.मु.पायतन भूमि में से 0.22 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण होना साबित होता है। गैर सायल मोहनराम अतिक्रमी की श्रेणी में आता है।

अतः गैर सायल मोहनराम पुत्र भूराराम जाति सुनार निवासी तोलियासर द्वारा ग्राम तोलियासर के आराजी ख.नं. 332 तादादी 17.55 है। गै.मु. पायतन भूमि में से 0.22 हैक्टेयर भूमि का सम्बत् 2075 का अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखली का आदेश पारित किया जाता है तथा लगान 0.22 रुपये का 50 गुणा से 11.00 रुपये की शास्ती आरोपित की जाती है।

त.रा.ले. को मांग कायमी, पटवारी हल्का को शास्ती राशि वसूली एवं हल्का भू.अ.नि. को अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल करने एवं कब्जा बहक सरकार लेने हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।




नायब तहसीलदार
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर) राज